स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 84, दिनांकः 12-03-2025

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह की सक्रिय सदस्य मुस्कान तिवारी पुनः लखनऊ से गिरफ्तार, 04 अदद पिस्टल मय मैगजीन सहित बरामद।

दिनांक 12-03-2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध असलहों की तस्करी करने वाले गिरोह की मुस्कान तिवारी को पुनः जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करते हुये 04 अदद पिस्टल बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-मुस्कान तिवारी पुत्री संतोष तिवारी निवासी रूदौली, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर।

बरामदगीः-

1- 04 अदद-पिस्टल 32बोर
2- 07 अदद मैगजीन
3- 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः-

कैसरबाग बस स्टेशन के पास थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ। दिनांक 12-03-2025

अवैध असलहो एवं कारतूस की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के पूर्वांचल में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा विगत में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही करते हुये दिनांक 20-11-2024 को अंकित कुमार पाण्डेय निवासी बाराचवर थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर तथा दिनांक 15-12-2024 को मुस्कान तिवारी उपरोक्त एवं उसके साथी सत्यम यादव को दो अदद पिस्टल के साथ जनपद सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ था कि इस अन्तर्राज्यीय असलहा तस्कर गैंग का सरगना शुभम सिंह निवासी जुडापुर, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर है, जिसका एक संगठित गिरोह है। इस गैंग का नेटवर्क पंजाब, उ0प्र0, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों में फैला हुआ है।

शुभम सिंह के असलहा तस्कर गैंग के सदस्यों के संबंध में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा पूर्व में गिरफ्तार जेल भेजी गयी अभियुक्त मुस्कान तिवारी जमानत पर छूटने के उपरान्त पुनः अपने गैंग से जुडकर असलहा तस्करी में पुनः सक्रिय हो गयी, जिसके

क्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी कि जरिये विश्वस्त सूत्र ज्ञात हुआ कि शुभम सिंह गैंग की सक्रिय सदस्य मुस्कान तिवारी असलहों के साथ मेरठ से आ रही है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 वाराणसी की टीम, जो अभिसूचना संकलन हेतु लखनऊ में भ्रमणशील थी, द्वारा स्थानीय पुलिस एवं महिला पुलिसकर्मी को साथ लेकर कैसरबाग बस स्टेशन लखनऊ के पास पहुॅचकर मुस्कान तिवारी को गिरफ्तार करते हुये उसके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त मुस्कान तिवारी से पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि एस0टी0एफ0 वाराणसी द्वारा मुस्कान तिवारी व उसके साथी सत्यम यादव को दिनांक 15–12–2024 को जनपद सुल्तानपुर में गिरफ्तार करते हुये इनके पास से 02 पिस्टल बरामद करते हुये जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद इसके द्वारा पुनः सरगना शुभम सिंह सम्पर्क में आकर असलहा तस्करी का काम शुरू कर दिया। असलहा तस्करी में काफी पैसा है। मुस्कान तिवारी शुभम सिंह के प्रभाव में आ गयी। सरगना शुभम सिंह द्वारा योजना बनायी गयी कि दो लोगों के एक साथ असलहा लेने के जाने पर पकड़े जा रहे हैं। अब आगे से गैंग के सदस्य अकेले ही असलहा लेने–देने के लिये जायेगें। इसी क्रम में मुस्कान तिवारी अकेले ही मेरठ असलहा लेने गयी। शुभम सिंह द्वारा बताया गया कि मेरठ में शोहराबगेट बस स्टेशन के पास एक लड़का 04 पिस्टल लाकर देगा। इसके लिये उसे 50 हजार रूपये मिला था। प्रत्येक पिस्टल की कीमत लगभग डेढ लाख रूपये है। उसे शाहगंज जनपद जौनपुर में लाकर देना है। इसी योजना के तहत मुस्कान तिवारी मेरठ से पिस्टल लेकर बस द्वारा कैसरबाग बस स्टेशन पर आयी थी, जहॉ से शाहगंज के लिये बस पकड़ना थी।

उल्लेखनीय है कि मुस्कान तिवारी द्वारा पूछतांछ के दौरान यह भी बताया गया है कि उसके द्वारा पूर्व में कई बार कारतूस व असलहा लाकर शुभम सिंह के बताये स्थान पर दे चुकी है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना वजीरगंज, जनपद–लखनऊ में मु0अ0सं0 67/2025 धारा 111बी0एन0एस0 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।